पुस्तकालय
1
2559
8/3/07

सत्यमेव जयते

- 1 MAR 2007

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1.–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०..255.....तिथि....8/3..

बि०स० मु० (एल० ए०) 219--मोनो--1,000--9-6-2004

अल्प-सूचित प्रश्न सं०- १४ का पूरक ..क्रमशः..

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, हमारा सवाल था कि ७०० करोड़ रूपये एलौकेट किया गया जिसमें १०२ करोड़ रूपये की पहली किश्त रिलीज हुई जिसमें सिर्फ ५२ करोड़ रूपया आपने खर्च किया । ८५ लाख शौचालय आपको बनाना है जिसमें सिर्फ २.५ लाख शौचालय आप बना सके हैं । राशि कहीं आवे, मोनिटरिंग करना आपका काम है । फोटो आपका छपता है तो कौन दूसरा आदमी काम करेगा ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह अभियान जो है, जन आधारित, माँग आधारित, जन समुदाय की भागीदारी के साथ चलाया जाना है, उसके तहत सघन जन-जागरण चलाकर लोगों में जागृति लाया जाना है । हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो राशि मिल रही है और इसमें तेजी आये और राशि का हम उपयोग करेंगे और घर-घर शौचालय बनाने का हमारा संकल्प है, इस राज्य को निर्मल राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प है और हम इसको पूरा करेंगे ।

श्री जगदानन्द सिंह : कम से कम सदन में उत्तर उचित ढ़ंग से आना चाहिये, आप हमारे कस्टोडियन हैं, महोदय ।

यह तो पहले आप स्वीकार कर लीजिये कि उन पैसों का, जो शकील साहब ने कहा कि ७०० करोड़ में से १०२ करोड़ रूपये पहली किश्त रिलीज हुई जिसमें आपने मात्र ५२ करोड़ ही खर्च किया । सदन को यह आश्वासन चाहिये, मार्च के महीने में हमलोग आ गये हैं, ३१ मार्च तक यदि आप इस राशि को खर्च नहीं करेंगे तो यह राशि लैप्स होगी न ? महोदय, एक सवाल । आप कितना अच्छा काम किये हैं पूर्व की तुलना में, यह बताते हुए आपको यह बताना चाहिये था कि पूर्व में आवंटन क्या होता था और खर्च क्या होता था । आपने यह नहीं बताया । ७०० करोड़ के खिलाफ आपको १०२ करोड़ रूपया मिला और उसमें से बहुत निम्न राशि आपने खर्च किया । आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को मिली हुई केन्द्र की राशि ३१ मार्च तक खर्च होगी और कम से कम लैप्स नहीं होगी । क्या इसके लिए उपाय कर रहे हैं आप ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस राशि के लैप्स होने का प्रावधान नहीं है, यह अभियान २०१२ तक चलाना है । भारत सरकार जो राशि दे रही है, उसमें राज्य का भी हिस्सा है, केन्द्र का भी हिस्सा है । इसलिये राशि लैप्स होने का सवाल ही नहीं है । हम अभियान के तहत निश्चित तौर पर समय के अन्दर इस राशि का उपयोग करेंगे ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- १५

श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, राज्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, १- स्वीकारात्मक है । फरवरी, २००५ की तुलना में जनवरी, २००७ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है ।

२- आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से सामान्यतः गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले लोग ही प्रभावित होते हैं, जिन्हें सरकार अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है ।

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण एवं क्रय-विक्रय को भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण से मुक्त रखा गया है । इनके मूल्य नियंत्रण का मूल दायित्व भारत सरकार का है । राज्य सरकार के स्तर से राज्य में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रतिदिन भारत सरकार को भेजा जाता है ।

खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कई तत्वों यथा- उत्पादन में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, आयात-निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, मुद्रास्फीति द्वारा प्रभावित होता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है । स्पष्टतः राज्य सरकार की इसमें कोई प्रभावी भूमिका नहीं है ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कोई ज्यादा प्रश्न अब इसमें पूछना नहीं चाहते हैं । माननीय मंत्री ने भी जवाब में इशारा कर ही दिया है । हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि २००५ की अपेक्षा २००७ में इन वस्तुओं के मूल्यों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है ? केवल इतना बता दें, इसमें हम कुछ और नहीं पूछेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-१५ का पूरक क्रमशः

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती सुचित्रा सिन्हा,राज्य मंत्री : वर्ष २००५ में चावल का दाम ९-१० रू० प्रति किलो और गेहूँ का दाम ७.५० -१०.५० रू०, वर्ष २००७ में चावल का दाम १० रू० और गेहूँ का दाम १२-१३ रू० ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, उसका कारण उन्होंने बताया है तो क्या यह सही नहीं है कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के द्वारा इन वस्तुओं का होर्डिंग करके कृत्रिम जो है महंगाई बढ़ाने का कार्य हुआ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है और कितनी कार्रवाई की है ?

श्रीमती सुत्रिता सिन्हा,राज्य मंत्री : महोदय, सरकार ने जमाखोरी .....

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो महंगाई है, वह केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण और विशेषकर के जो उत्पादन में कमी आयी है, जो आयात करना पड़ रहा है । अभी तक जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना सरकार को नहीं है, अगर कहीं कोई सूचना मिलेगी तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, जमाखोरों और कालाबाजारियों की यह सरकार है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश के अन्दर महंगाई है । जिसका परिणाम आपको उत्तराखंड और पंजाब में भुगतना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने के लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वह आयात करे और वह राज्यों को प्रदान करे । कहीं भी राज्य में कोई भी समाचार मिलेगा जमाखोरी का तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी और कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसको छोड़ा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, प्रभारी वित्त वाणिज्यकर मंत्री ने उठकर कहा है तो जिन खादान्न वस्तुओं के टैक्स कम किये गये हैं या शून्य किये गये हैं तो क्या उसका दाम घटा है और अगर दाम बढ़ा है तो निश्चित रूप से कालाबाजारी और जमाखोरी करके व्यवसायी कृत्रिम महंगाई पैदा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, मेरा स्पष्ट सवाल है, अगर महंगाई बढ़ी है तो माननीय मंत्री ने कहा कि जमाखोरी करने का और कालाबाजारी करने का कोई सूचना नहीं है । तो अगर जिन वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया तो उसका दाम क्यों नहीं घटा है, हम यह मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, चावल और गेहूँ पर पहले जो ४ प्रतिशत टैक्स था, उसको अब १ प्रतिशत किया गया लेकिन बगल के राज्य में जीरो है । अभी भी हमारे यहां टैक्स के दर ज्यादा है और प्राधिकृत समिति का निर्णय था अध्यक्ष महोदय, चूँकि ५ लाख टन गेहूँ का आयात करना पड़ा बाहर से और समय पर आयात नहीं हुआ, पियाज पर केन्द्र की सरकार को निर्यात पर समय पर जो रोक लगाना चाहिए था, केन्द्र की सरकार ने समय पर रोक नहीं लगाया, इसी के कारण आज पियाज का दाम बढ़ा है । इसलिए राज्य सरकार को अपने स्तर से महंगाई रोकने के लिए जो कदम उठाना होगा, हम उठायेंगे । इसके लिए मुख्य रूप से केन्द्र की सरकार जिम्मेवार है और कल केन्द्रीय मंत्री ने इस दिशा में भी प्रयास किया है ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि ये राज्य में जो महंगाई जिसको खाद्य राज्य मंत्री ने कबूल किया और इस महंगाई बढ़ने के पीछे मूल कारण, इसके पीछे मूल कारण यह है कि .....

(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मँहगाई बढ़ने के पीछे सरकार के निहत्था होने का कारण है होर्डर होर्डिंग कर रहा है । वर्ष २००२ में एसेनसियल कमोडिटी एक्ट,१९९४ में धारा-३ में जो होर्डिंग करने का, डिहोर्डिंग करने का राईट था गवर्नमेंट को, आपकी सरकार ने खत्म किया, इसीलिए आप होर्डिंग नहीं रोक सकते । आप दोषी हैं ।

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद एवं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन किये)

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-१६०-मा० सदस्य श्री शिवचंद्र राम

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड(ख) चेहरा कला प्रखंड मुख्यालय का भूमि एवं कार्यालय स्थायी नहीं था, जिसके कारण जलापूर्त्ति का प्रस्ताव लम्बित था । जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद पाईप जलापूर्त्ति योजना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-१६१,माननीय सदस्य श्री नितिन नवीन । माननीय मंत्री,नगर विकास ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय.....

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूँगा कि मँहगाई पर इस सदन में एक विशेष वाद-विवाद का आयोजन करा दिया जाय ताकि मालूम पड़ जाय कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१६१,मा० सदस्य श्री नितिन नवीन

श्री अश्विनी कुमार चौबे, मंत्री : महोदय, खंड(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खंड(3) वर्त्तमान राज्य में बिहार नगरपालिका अध्यादेश,२००७ (बिहार अध्यादेश,२,२००७) प्रवृत है । उसकी धारा-४३ में नगरपालिका सेवा के लिए संवर्गों का गठन किये जाने का प्रावधान है ।

इस प्रावधान के अन्तर्गत नगरपालिका सेवाओं के संवर्गों के गठन की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी ।

(इस अवसर पर राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन में आ गये)

तारांकित प्रश्न संख्या-१६२, मा० सदस्य श्री अमरनाथ यादव

श्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री : महोदय, खंड(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड(ग) दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी सिवान को पत्रांक ३१०(७) दिनांक २८.०२.०७ द्वारा निदेशित किया गया है कि वे पर्चाधारियों को बंदोबस्त भूमि का विधिवत दखल कब्जा दिलायें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।